नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव मौजूदा रेलवे अण्डर ब्रिज के ठीक उत्तर में स्थित ओल्ड रोहतक रोड को कालिदास मार्ग से मिलाने के लिए एक सड़क के निर्माण करने का है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग के अनुसार आशा है कि यह सड़क वित्तीय और तकनीकी संस्वीकृति, बजट आवंटन और भूमि प्राप्त करना आदि विभिन्न औपचारिकताओं के पूरे होने पर निर्माण शुरू होने की तारीख से 8 महीने की अवधि में बन कर तैयार हो जाएगी ।

अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण

2936. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण तथा अनुरोध पर अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण की परिभाषाएं क्या हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त दोनों प्रकार के स्थानान्तरणों के बीच कोई साम्य या सम्बन्ध है;

(ग) यदि हां, तो 13 नवम्बर, 1961 से ले कर बाद तक किये गये अन्तर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरणों के लिए पृथक नियम बनाने और लागू करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो 13 नवम्बर, 1961 से पहले किये गये अन्तर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में नियम संख्या 310 लागू करने के क्या कारण हैं जब कि यह नियम अनुरोध पर अन्तर्रेलवे स्थानान्तरणों के लिए है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) अन्तर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण वे स्थानान्तरण होते हैं जो दो कर्मचारियों की आपसी अदलाबदली के आधार पर किये जाते हैं । अनुरोध पर किये गये अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण में वे स्थानान्तरण होते हैं जो किसी कर्मचारी के अनुरोध पर किये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं, इस बात के अलावा इनमें कोई साम्य या सम्बन्ध नहीं है कि उक्त दोनों प्रकार के स्थानान्तरण कर्मचारियों के कहने पर ही किये जाते हैं, प्रशासनिक हित में नहीं ।

(ग) और (घ) 13–11–1961 से पूर्व, अन्तर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण के मामले में वरिष्ठता नियम वही था जो अनुरोध पर स्थानान्तरण के लिए था, अर्थात् इसमें निम्नतम वरिष्ठता दी जाती थी ।

चूंकि कर्मचारियों के लिए ये नियम सख्त समझे जाते थे, अतः सम्बन्धित ग्रेड में कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख से उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने या उस कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर, जिसके साथ कि आपसी अदला-बदली की जाती है, जो भी निम्नतर हो, वरिष्ठता निर्धारण की व्यवस्था करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया । भारतीय रेल स्थापना नियमावली का नियम 310, जिसमें अन्तर्रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरणों

की व्यवस्था है, 13-11-1961 को जारी किये गये आदेश पर आधारित है। लेकिन इस आदेश को पूर्वव्याप्ति सहित लागू नहीं किया गया है। उस तारीख से पहले किये गये पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए, सम्बन्धित कर्मचारी निम्नतम वरिष्ठता पाने के ही पात्र हैं।

Comparative figures of expenditure on cancer research & Family Planning

2937. SHRI R. PRABHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the total amount spent year-wise, in 1978-79, 1979-80 and 1980-81 for cancer research by the Government of India;

(b) the total expenditure on the new block for cancer research set up at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi; and

(c) how do the above figures year wise, compare with the total amount spent by the Government of India for birth control and family planning research?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Under the Cancer Research and Treatment Programme Central assistance was provided as per the following details:

	(Rs. in lakhs)
1978-79	108.17
1979-80	59.50
1980-81	153.35

(b) Rs. 65.41 lakhs.

(c) The Plan Expenditure on Family Welfare Programme has been as follows:—

	(Rs. in crores)
1978-79	107.55
1979-80	118.52
1980-81	134.22*

* Provisional

Consideration of leprosy Cured Persons as Disabled for Job Reservation

2938. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) the percentage of jobs reserved for the disabled and what categories of disabled are considered for the job opportunities; and

(b) as the year of the disabled has been extended, will the Government consider to include disabled from leprosy but cured persons for job reservation.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a): 3 per cent posts in Group C and D under the Central Government and Public Sector Undertakings have been reserved for the physically handicapped. Out of this, 1 per cent is reserved for the blind, 1 per cent for the deaf and 1 per cent for the orthopaedically handicapped.

(b): Leprosy cured persons who are disabled are also eligible to apply for the reserved vacancies. The disabled who are eligible for the reservation are defined in the Statement.